संचिका सं0–3 / एम0–71 / 2009सा0प्र0..11358

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 01-9-17

विषयः– समूह 'घ' के कर्मियों का पदनाम परिचारी (विशिष्ट) किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक–3922 दिनांक–07.06.2017।

महोदय,

छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3 / एम0 71 / 2009सा0–2916 दिनांक– 16.09.2011 द्वारा "राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों की स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के common category के समूह 'घ' के विभिन्न पदों, यथा अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली का पदनाम परिवर्तित कर **"कार्यालय परिचारी** (Office Attendant)" किया गया है।

2. विभिन्न विभागों / कार्यालयों में समूह 'घ' के ऐसे विभिन्न पद, जो उपर्युक्त कार्यालय परिचारी समूह में शामिल नहीं हैं, यथा–मशालची, रसोईया, माली, स्वीपर, धोबी आदि के नामकरण का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन था। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में विचार करने हेतु गठित राज्य वेतन आयोग द्वारा इस संदर्भ में भी विचार किया गया। आयोग द्वारा समुचित विचारोपरांत अपने प्रतिवेदन के अध्याय–3 की कंडिका–3.1 में निम्नवत अनुशंसा की गईः–

> The Commission recommends accordingly. Thus, all the posts, be they known by whatsoever name or in whichever department they lie, should be granted the replacement level of level 1 and a common pool of staff at level 1 be created at the level of each cadre controlling authority. The name of this common cadre can be "Attendant" rather than "Office Attendant". Thus, all incumbents working on posts of "Office Attendant" shall be renamed as "Attendants" and brought into the common cadre at Level 1 of the Pay Matrix. The specific function of a post may be appended in parentheses after the common designation. Thus, for example, the post of "Mali" may be renamed as "Attendant (Mali)".

3. उक्त अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के अधोलिखित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–16.05.2017 को आहूत बैठक में अनुमोदित किया गयाः–

> **4(i) "अपुनरीक्षित ग्रेड पे 1800 तक के कार्य विशेष के कर्मी का पदनाम परिचारी (विशिष्ट) होगा तथा इनकी एक ही कोटि होगी, जिनका पुनरीक्षित वेतन स्तर–01 होगा।"**

4. राज्य मंत्रिपरिषद के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अनुरोध है कि अपने अधीन के विभाग/कार्यालय में समूह 'घ' के सभी पदों का पदनाम "परिचारी" करते हुए उसके बगल में कोष्ठक में उक्त पद की कार्यप्रकृति का उल्लेख किया जाय, यथा–वर्त्तमान में कार्यरत रसोईया, अब परिचारी (रसोईया) कहलाये जायेंगे। तदनुसार ऐसे सभी पदों के नियुक्ति प्राधिकार, अपने अधीन के समूह 'घ' के सभी पदों का पदनाम "परिचारी" करते हुए उसके बगल में कोष्ठक में उक्त पद की कार्यप्रकृति का उल्लेख करते हुए यथोचित आदेश निर्गत करेंगे।

विश्वासभाजन

1/9/17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव